



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

की

आवासीय योजनाओं में “जहाँ है, जैसा है,”

के

आधार पर “प्रथम—आओ, प्रथम—पाओ” पद्धति

से

पूर्व निर्मित आवासीय मध्यम आय वर्ग, मिनी मध्यम आय

वर्ग, अल्प आय वर्ग तथा दुर्बल आय वर्ग श्रेणी

के

फ्लैट्स/भवन प्राप्त करने हेतु

नियम एवं शर्तों

की

विवरण पुस्तिका

मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं में “जहाँ है, जैसा है,” के आधार पर “प्रथम—आओ, प्रथम—पाओ” पद्धति से पूर्व में निर्मित आवासीय मध्यम आय वर्ग, मिनी मध्यम आय वर्ग, अल्प आय वर्ग तथा दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के फ्लैट्स/भवन प्राप्त करने की नियम एवं शर्तेः—

1. योजना का नाम—

योजना के नाम रिक्त सम्पत्तियों की विवरण तालिका में उल्लिखित है।

2. ग्राह्यता (पात्रता)—

2.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।

2.2 आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक व्यस्क हो अर्थात् आवेदक की आयु न्यूनतम् 18 वर्षया उससे अधिक होनी चाहिए।

3. आवेदन कैसे करें—

योजना, समाचार पत्रों में विज्ञापित करने के पश्चात् प्रारम्भिक स्टेज पर प्रत्येक रिक्त फ्लैट्स/भवन का मूल्य सहित विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। आवेदक द्वारा इच्छित सम्पत्ति वरीयता क्रम में (अधिकतम् 5 सम्पत्ति) आवेदन पत्र में उल्लेख करते हुए, प्रथम वरीयता की सम्पत्ति के मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि का राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट, जो उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के पक्ष में मेरठ में देय हो, के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र पूर्वान्ह 11.00 बजे से 2.00 बजे के मध्य प्राधिकरण कार्यालय में जमा किये जायेंगे।

4. आवंटन प्रक्रिया—

4.1.1 वर्णित सम्पत्ति “जहाँ है, जैसा है” के आधार पर आवंटित की जायेगी।

4.1.2 आवेदक के पक्ष में उनके द्वारा अंकित प्रथम वरीयता की सम्पत्ति का “पहले आओ—पहले पाओ” के आधार पर आवंटन किया जायेगा। प्रथम वरीयता की सम्पत्ति न मिलने की दशा में यदि द्वितीय वरीयता की सम्पत्ति के संबंध में किसी अन्य आवेदक द्वारा आवेदन नहीं किया गया है, तो उक्त सम्पत्ति आवेदक को आवंटित की जायेगी। यदि द्वितीय वरीयता, के सम्पत्ति पर किसी अन्य ने आवेदन कर रखा है, तो आवेदक को तृतीय वरीयता सम्पत्ति आवंटित की जायेगी। यही प्रक्रिया लगातार पूर्ण कर उक्त आवेदक को वरीयता क्रम वाली सम्पत्तियों में से उसकी लिखित सहमति के क्रम में आवंटित करने का प्रयास किया जायेगा।

- 4.1.3 यदि आवंटी प्रथम वरीयता में अकित सम्पत्ति के अतिरिक्त किसी अन्य वरीयता क्रम के सम्पत्ति को नहीं लेना चाहता है, तो उसे इस संबंध में लिखित में प्रार्थना पत्र देना होगा, अन्यथा उपरोक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्पत्ति आवंटित की जायेगी।
- 4.1.4 यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत वरीयता क्रम की सम्पत्तियों पर किसी/किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा पहले आवेदन किया गया है, तो आवेदक को कोई सम्पत्ति आवंटित नहीं की जाएगी तथा उनके द्वारा जमा ड्राफ्ट तत्काल उसी दिन वापस कर दिया जाएगा।
- 4.1.5 आवेदक को यदि प्रथम वरीयता की सम्पत्ति के अतिरिक्त किसी अन्य वरीयता की सम्पत्ति आवंटित की जाती है तथा उसका मूल्य प्रथम वरीयता की सम्पत्ति के मूल्य से अधिक है तो आवेदक को आवंटन के दो दिवस के अन्दर आवंटित सम्पत्ति के मूल्य का शुद्ध 10 प्रतिशत धनराशि, आवेदन पत्र के साथ जमा की गयी धनराशि का समायोजन करते हुए अर्थात् अन्तर की धनराशि आवंटन पत्र के जारी दिनांक से 02 दिन के अन्दर जमा करना होगा। यदि आवंटित सम्पत्ति का मूल्य, आवेदक द्वारा आवेदित सम्पत्ति के मूल्य से कम तो जमा डिमाण्ड ड्राफ्ट की धनराशि अगले 30 दिन में जमा होने वाली आवंटन धनराशि में समायोजित कर ली जाएगी।
- 4.2 आवंटित सम्पत्ति का प्राधिकरण द्वारा कोई भी सुदृढ़ीकरण/मरम्मत आदि का कार्य नहीं किया जायेगा। आवेदक के पक्ष मेंनियमानुसार आवंटन किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 4.3 फ्रीहोल्ड (पूर्ण स्वामित्व) सम्पत्तियों का आवंटन—कम—किश्त पत्र शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 72/3488/आठ-1-14-30 विविध/2014 दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के अधीन सम्पत्ति की कीमत में फ्री होल्ड एवं लोकेशन चार्ज की धनराशि शामिल करते हुए जारी किया जायेगा। लीज होल्ड सम्पत्तियों का आवंटन—कम—किश्त पत्र, लीज होल्ड सम्पत्ति मेंनिहित भूमि मूल्य का नियमानुसार 10 प्रतिशत लीजरेन्ट एवं लोकेशन चार्च शामिल करते हुए जारी किया जायेगा। तालिका मेंउल्लिखित रिक्त सम्पत्तियों के मूल्य मेंफी—होल्ड/लीज—रैन्ट/लोकेशन चार्ज की धनराशि सम्मिलित नहीं हैं।
- 4.3.1 आवेदकोको आवंटन कम किश्त पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिन की अवधि के अन्दर सकल मूल्य की शुद्ध 25 धनराशि {पंजीकरण धरोहर राशि का समायोजन करते हुए} प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी।

4.3.2 मध्यम आय वर्ग एवं मिनीमध्यम आय वर्ग व अल्प आय वर्ग श्रेणी की सम्पत्तियों की बकाया 75.00% धनराशि 05 वर्ष की 10 समान् छमाई किश्तों में 10.50% वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। विलम्ब अवधि के लिये दण्ड ब्याज प्रस्तर—5 अनुसार देय होगा। किन्तु आवंटन धनराशि निर्धारित एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त, अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड ब्याज के साथ अदा न करने पर पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवंटी को प्रत्येक दशा में फ्लैट/भवन खाली करना होगा।

4.3.3 दुर्बल आय वर्ग श्रेणी की सम्पत्तियों की बकाया 75.00 % धनराशि 05 वर्ष की 10 समान् छमाई किश्तों में 9.50% वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। विलम्ब अवधि के लिये दण्ड ब्याज प्रस्तर—5 अनुसार देय होगा। किन्तु आवंटन धनराशि निर्धारित एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त, अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड ब्याज के साथ अदा न करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवंटी को प्रत्येक दशा में फ्लैट/भवन खाली करना होगा।

4.3.4 प्रत्येक श्रेणी की सम्पत्ति के सापेक्ष पहली छमाई किश्त आवंटन धनराशि के देय दिनांक से छः माह में देय होगी। तदनुसार शेष किश्तों 06—06 माह के अन्तराल पर देय होगी। आवंटन धनराशि एवं देय किश्तों का विवरण आवंटन—कम—किश्त पत्र में उल्लिखित कर निर्गत किया जायेगा।

4.5 सम्पत्ति का आवंटन—कम—किश्त पत्र निर्गत होने के साथ—साथ आवेदक को प्रोपर्टी कोड/आई डी प्राप्त करायी जायेगी, जो विशिष्ट कोड होगा। आवेदक द्वारा आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष कोई भी धनराशि अथवा किश्त जमा करते समय रसीद पर प्रोपर्टी कोड का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।

4.6 पूर्व में निर्मित फ्लैट्स/भवनों को “जहाँ है, जैसा है” के आधार पर विज्ञापित किया जा रहा है। तालिका में उल्लिखित फ्लैट्स/भवन निर्मित अथवा अर्द्ध निर्मित है, जिनमें जो भी कार्य किया जाना शेष है, वह सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने पश्चात आवंटियों को स्वयं अपने खर्च पर पूर्ण कराना होगा। यदि किसी फ्लैट्स/भवन में अतिरिक्त भूमि पायी जाती है तो उसका नियमानुसार मूल्य आवंटी द्वारा देय होगा। किन्तु प्रकाशित विवरण तालिका में पंजीकरण हेतु मानक क्षेत्रफल के आधार पर धनराशि का उल्लेख किया गया है जो कमी—बेसी के अधार पर फ्लैट्स/भवन के वास्तविक मूल्य में समायोजित किया जायेगा।

- 4.7 देय धनराशि का भुगतान, बैकर्स चैक/बैंक ड्रापट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि के प्राधिकरण के खाते मेंअन्तरण की तिथि को ही आधार माना जायेगा।
- 4.8 आवेदक के पक्ष मेंजिस पलैट/भवन का आवंटन होगा, उस पलैट/भवन की वास्तविक कीमत के सापेक्ष जमा आवेदित/पंजीकरण धनराशि का समायोजन किया जायेगा।
- 4.9 प्राधिकरण किसी ऐसी धनराशि पर ब्याज के लिये उत्तरदायी नहींहोगा जो बैंक अथवा जमाकर्ता की त्रुटि से प्राधिकरण के खाते में जमा नहींहुई हो।
- 4.10 यदि किसी व्यक्ति द्वारा पंजीकरण आवेदन पत्र भरते समय तथ्यों को छुपाया जाता है तो उसका आवेदन पत्र/आवंटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है और जमा की गयी समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 4.11 प्राधिकरण द्वारा फ्रीहोल्ड/लीज होल्ड आधार पर आवंटित सम्पत्ति का “विक्रय विलेख”/“पलैट में निहित भूमि का पट्टा विलेख एवं पलैट स्ट्रक्चर का विक्रय विलेख” आवंटी द्वारा निष्पादित कराना अनिवार्य होगा।
- 4.12 चूँकि पलैटस्/भवनों का आवंटन “जहाँ है, जैसा है” के आधार पर किया जा रहा है। अतः आवेदक द्वारा आवंटन स्वीकार करने के उपरान्त सम्पत्ति की गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में कोई विवाद/आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 4.13 आवंटी को आवंटित पलैट/भवन के आवासीय प्रयोग की ही अनुमति होगी अन्य किसी उपयोग की नहीं होगी। आवासीय प्रयोग के अतिरिक्त, यदि आवंटी द्वारा पलैट/भवन का अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।
- 4.14 आवेदकों के पक्ष में “प्रथम आओ, प्रथम पाओ” पद्धति से पलैटस्/भवन आवंटित हो जाने के पश्चात्, “सम्पत्ति का फ्रीहोल्ड व लोकेशन चार्ज सहित मूल्य/लीजरेन्ट व लोकेशन चार्ज सहित मूल्य” पचास लाख या उससे अधिक होने की स्थिति “सम्पत्ति के कुल मूल्य” पर आयकर अधिनियम-1961 की धारा194IAके अन्तर्गत देय 01 (एक) प्रतिशत टी०डी०एस० की धनराशि आवेदकों को मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पेन नं० AAALM0124Dपर रख्यं जमाकर रसीद की छाया प्रति एवं आयकर विभाग द्वारा जारी “टी०डी०एस० जमा का प्रमाण पत्र”(फार्म-26QB व जमा चालान) प्रार्थना पत्र के साथ मेरठ विकास प्राधिकरण कार्यालय में जमा करना होगा। सम्पत्ति के आवंटन-कम-किश्त

में उल्लिखित आवंटन धनराशि व सब्याज निर्धारित देय किश्तें तथा अन्य देय धनराशि जो प्राधिकरण कार्यालय द्वारा सूचित की गयी हो, आवंटियों द्वारा प्राधिकरण परिसर स्थित इण्डियन बैंक(Details For RTGS Account No. 21066035769, IFSC CODE : IDIB000M679)में अथवा एच0डी0एफ0सी0बैंक, सूर्योन्नश प्लाजा, गढ़ रोड़, मेरठ (Details For RTGS Account No. 50100056171918, IFSC CODE : HDFC0001911)में उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में देय बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट जो मेरठ में देय हो, के द्वारा जमा करते हुए, जमा रसीद की छाया प्रति सम्पत्ति सम्बन्धित अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी।

5. दण्ड ब्याज—

मध्यम आय वर्ग श्रेणी की सम्पत्तियों की देय धनराशि/देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 15%वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज अतिरिक्त देय होगा। मिनी मध्यम आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग श्रेणी की सम्पत्तियों की देय धनराशि/देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 14%वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज अतिरिक्त देय होगा। दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के सम्पत्तियों की देय धनराशि/देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 13%वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

6. कब्जा—

- 6.1 पूर्व में निर्मित फ्लैट्स/भवन को "जहाँ है, जैसा है", के आधार पर विज्ञापित किया जा रहा है जिनके आवंटन पश्चात् आवंटी प्राथमिक स्टेज पर फ्लैट्स/भवन का किश्तों के चलते कब्जा प्राप्त करना चाहता है तो नियमानुसार फ्लैट्स/भवनमूल्य का 40 प्रतिशत धनराशि एवं पानी सीवर मद में देय धनराशि, देय दस्तावेज शुल्क आदि जमा कराते हुए रजिस्टर्ड कब्जा अनुबन्ध के माध्यम से सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त कर सकता है। यदि आवंटी किश्तें चलते-रहते कब्जा प्राप्त करने का इच्छुक है तो कब्जा दिनांक तक की देय किश्तें मय ब्याज अप-टू-डेट जमा कराकर व कब्जा अनुबन्ध की औपचारिकतायें पूर्ण कराकर रजिस्टर्ड कब्जा अनुबन्ध के माध्यम से कब्जा प्राप्त कर सकता है। कब्जा अनुबन्ध के निबन्धन के समय देय लिखाई-पढ़ाई का समर्त व्यय आवेदनकर्ता (आवंटी) को स्वयं वहन करना होगा।
- 6.2 आवंटी को समय समय पर लागू होने वाले समस्त म्यूनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या शासन द्वारा नियम एवं उपनियम के

अन्तर्गत लाये जाते हैं, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय—समय पर सम्बन्धित विभाग के पक्ष में करना होगा।

- 6.3 सम्पत्ति के आवंटन पश्चात् समय—समय पर शासन द्वारा जारी शासनादेशों/नियमोंउपनियमों आदि का अनुपालन आवंटी द्वारा करना होगा।
- 6.4 आवंटी विद्युत कनेक्शन व पानी का कनेक्शन सम्बन्धित विभागों से स्वयं अपने खर्च पर लेगा।
- 6.5 यदि आवंटी द्वारा, विलेख के निष्पादन कराने के पश्चात् कब्जा नहींलिया जाता है तो नियमानुसार रूपये 50/- व 100/-प्रतिमाह की दर से विलम्ब अवधि का चौकीदार शुल्कआवंटी द्वारा जमा करना होगा।

7. निबन्धन प्रक्रिया—

‘पूर्व में निर्मित फ्लैट/भवन का सम्पूर्ण मूल्य, नियमानुसार देय पानी सीवर मद में देय धनराशि एवं देय दस्तावेज शुल्क आदि जमा कराते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प डयूटी, आवंटी द्वारा वहन करने पर आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा आवंटित भवन का “विक्रय विलेख” एवं फ्लैट का “फ्लैट में निहित भूमि के बावत् पट्टा विलेख एवंभवन स्ट्रक्चर का विक्रय विलेख” का पंजीयन किया जायेगा। विलेख के निबन्धन के समय देय लिखाई—पढ़ाई का समस्त व्यय आवेदनकर्ता (आवंटी) द्वारा स्वयं वहन करना होगा। यदि फ्लैट/भवन का विलेख कराने से पूर्व “कब्जा अनुबन्ध” का पंजीयन आवंटी द्वारा कराया गया है तो कब्जा अनुबन्ध के समय आवंटी द्वारा वहन की स्टाम्प डयूटी को नियमानुसार समायोजन के पश्चात् देय स्टाम्प डयूटी पर “विक्रय विलेख” एवं फ्लैट का “फ्लैट में निहित भूमि के बावत् पट्टा विलेख एवंभवन स्ट्रक्चर का विक्रय विलेख” निष्पादित किया जायेगा।

8. समर्पण तथा निरस्तीकरण की दशा में धन की वापसी—

सम्पत्ति के आवंटन के पश्चात् यदि कोई आवेदक अपनी जमा धनराशि वापस प्राप्त करना चाहे तो निम्नानुसार रिफण्ड प्रकरण निस्तारित किया जायेगा:—

- 8.1 आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात् दुर्बल आय वर्ग व अल्प आय वर्ग श्रेणी के आवंटियोंको छोड़ते हुये अन्य समस्त श्रेणी के आवंटियों द्वारा यदि निर्धारित 25प्रतिशत(पंजीकरण+आवंटन) की धनराशि नियत अवधि 30दिवस

के अंदर प्राधिकरण कोष में जमा नहीं की जाती हैं तो आवेदन के समय जमा 10 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण के पक्ष में जब्त की जायेगी।

- 8.2 प्रत्येक श्रेणी के आवंटी द्वारा नियत अवधि में (30 दिवस) 25 प्रतिशत धनराशि (पंजीकरण+आवंटन) जमा करने के पश्चात् तथा कब्जा विलेख निष्पादित होने के पूर्व यदि धनराशिवापस चाहता है तो कब्जा प्राप्त करने से पूर्व कुल जमा धनराशि का 15 प्रतिशत कटौती करके, बिना ब्याज के शेष धनराशि वापस की जायेगी। उक्त वापसी हेतु आवंटन से सम्बन्धित मूल पत्र एवं रसीदें प्राधिकरण कार्यालय में जमा करने होगे।
- 8.3 दुर्बल आय वर्ग व अल्प आय वर्ग श्रेणी के आवंटियों द्वारा आवेदन के समय जमा 10 प्रतिशत धनराशि में से पंजीकरण धनराशि का 5 प्रतिशत कटौती करने के उपरान्त धनराशि वापस की जायेगी।

9. निरस्तीकरण उपरान्त बहाली प्रक्रिया—

'पूर्व में निर्मित फ्लैट/भवन का आवंटन, दो या दो से अधिक किश्तों की दखेता पर निरस्त हो जाने पर, यदि आवेदक 'पूर्व में निर्मित फ्लैट के आवंटन को पुनर्जीवित (बहाली) निरस्तीकरण दिनांक से दो माह के अन्दर कराना चाहे तो फ्लैट/भवन के आवंटन की बहाली के दिनांक को लागू नियमों के दृष्टिगत फ्लैट/भवन की बहाली वर्तमान मूल्य पर की जायेगी।

10. मिथ्या आवेदन अथवा तथ्यों का छुपाना—

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनायेंदी गयी हैं और उसने किसी वास्तविक तथ्य को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ-साथ फ्लैट/भवन का आवंटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे भविष्य में होने वाले आवंटन/झ़ा से वंचित कर दिया जायेगा एवं पंजीकरण धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

11. अन्य सूचनायें/शर्तें—

11.1 रिक्त सम्पत्तियों का विवरण प्राधिकरण की वेबसाईट (www.mda-meerut.in) पर उपलब्ध रहेगा।

11.2 आवेदक, आवेदन करने से पूर्व, सम्पत्ति की रिक्तता की सूची प्राधिकरण की वेबसाईट (www.mdameerut.in) पर अथवा प्राधिकरण के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखने के उपरान्त ही रिक्त सम्पत्ति के सापेक्ष आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

- 11.3 आवेदन पत्र के साथ आवेदित सम्पत्ति के मूल्य का 10 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष मेंमेरठ में देय हो, मूल रूप मेंसंलग्न किया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट प्राप्त होने पर, ऐसे आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 11.4 आवेदन पत्र पूर्वान्ह 11.00 बजें से 2.00 बजें के मध्य प्राधिकरण कार्यालय में जमा किये जायेंगे। वर्णित सम्पत्ति “जहाँ है, जैसा है” के आधार पर आवंटित की जायेगी। आवंटित सम्पत्ति में प्राधिकरण द्वारा कोई भी सुदृढीकरण/मरम्मत आदि का कार्य नहीं किया जायेगा।
- 11.5 आवंटन के सम्बन्ध मेंकिसी भी बिन्दु पर आवेदक, सचिव/प्रभारी सम्पत्ति अधिकारी सम्पत्ति, मेरठ विकास प्राधिकरण से कार्यालय समय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- 11.6 आवेदक को विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होगी एवम् भविष्य में अनुपालन करना होगा तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों/नियमों—उपनियमों का अनुपालन करना होगा।
- 11.7 प्राधिकरण की किसी भी योजना में किसी कारणवश अथवा विधि बाध्यता के कारणप्रतिकर की धनराशि में बढ़ोत्तरी की स्थिति में भूमि का मूल्य बढ़ता है तो वहआवंटी द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति मेंसमर्त बकाया एवम् देय धनराशिभू—राजस्व के बकाया के रूप मेंआवंटी से वसूल की जायेगी।
- 11.8 यदि किसी समय यह पाया गया कि आवेदक ने गलत सूचनायेंदेकर अथवा तथ्यों को छुपा कर आवेदन किया है अथवा आवंटन कब्जा प्राप्त कर लिया है या अन्य कोई सुविधा प्राप्त कर ली है तो आवेदक द्वारा जमा की गयी आवेदन/आवंटन धनराशि को शत—प्रतिशत जब्त करते हुए प्लैट/भवन के मूल्य के सापेक्ष जमा की गयी अन्य जमा धनराशि में से 15 प्रतिशत की कटौती धनराशि वापस कर दी जायेगी। उक्त जमा धनराशि पर कोई ब्याज देय नहींहोगा।
- 11.9 आवेदन उपरान्त पते में परिवर्तन की दशा मेंआवेदन पत्र की संख्या सहित एतद् विषयक सूचना आवेदक द्वारा सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण को देनी होगी। मूल आवेदन में पता गलत/अपूर्ण अंकित होने अथवा संशोधन समय से सूचित न करने की दशा मेंप्राधिकरण द्वारा किये पत्राचार की

जानकारी आवेदक/आवंटी को होने वाली क्षति के लिये प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।

11.10 तालिका में उल्लिखित फ्लैट्स/भवन के पंजीकरण के सापेक्ष प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के हितबद्ध आवेदक आवंटन की तिथि व समय पर अपनी जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि का मूल बैंक ड्रापट लेकर ही उपस्थित होवें।

11.11 आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित मा० न्यायालय के क्षेत्राधिकार मेंहोंगे।

11.12 इस योजना मेंफ्लैट्स/भवनों की दी गयी कीमत, क्षेत्रफल व उनकी संख्या अनुमानित है जो घट/बढ़ सकती है।

11.13 इस योजना के अन्तर्गत यदि किसी विवाद पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो वह आवंटी को मान्य होगा।

11.14 “प्रथम आओ, प्रथम पाओ” पद्धति से सम्पत्तियों के आवंटन/निस्तारण के सम्बन्ध में शासन से यदि कोई संशोधित/नया शासनादेश निर्गत किया जाता है तो निर्गत किये जाने वाले शासनादेश की नियम/शर्ते आदि लागू मानी जायेगी।

11.15 आवेदन प्रक्रिया, आवंटन, धन वापसी आदि किसी भी विषय मे विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हे अपने विवेकानुसार इस पुस्तिका मे उल्लिखित शर्तों मे अथवा अन्य किसी स्थान पर एतद् विषयक वर्णित किसी भी शर्त/नियम को शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जो कि आवेदक/आवंटी को मान्य होगा।


उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

“जहाँ है, जैसा है” के आधार पर “प्रथम आओ, प्रथम पाओं” पद्धति से आवेदन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नवत् प्रस्तुत हैः—

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ |

आवेदन पत्र सं०

(आवेदन दिनांक 27-01-2025 से 31-03-2025 तक)



प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में “प्रथम आओ, प्रथम पाओं” पद्धति से भवन,

फ्लैटस्‌प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र।

1 आवेदित सम्पत्ति का विवरण वरीयता क्रम के साथः—

योजना का नाम	सैकटर/पॉकेट	सम्पत्ति की श्रेणी	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	वरीयता

2. आवेदक का नाम (हिन्दी में)
अंग्रेजी में
3. आवेदक के पिता/पति का नाम
4. आवेदक की जन्म तिथि वर्ष लिंग वैवाहिक स्तर
आधार संख्या पैन कार्ड संख्या
5. व्यवसाय
6. वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता पिन कोड सहित
7. रथायी पता पिन कोड सहित
8. आवेदक का राष्ट्रीकृत बैंक में खाता संख्या, आई०एफ०सी० कोड व बैंक का पूरा नाम दूरभाष सहित

9. जमा फ्लापट संख्या/धनराशि का विवरण
10. आवेदक द्वारा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी आवेदन पुस्तिका का अध्ययन कर लिया गया है। आवेदन पुस्तिका में प्रकाशित नियम व शर्तें आवेदक को मान्य हैं जिसका पालन करने हेतु आवेदक एतद्वारा वचन देता है।

आवेदन की तिथि

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक की ओर से घोषणा

मैं घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एंवम शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है, जो मुझे मान्य है। आवेदन किस योजना किस सम्पत्ति के जिए वरियता क्रम में सम्पत्ति संख्या

आवेदक के हस्तांक्षर एवम पूरा नाम व पता :—

नाम _____

पिता/पति का नाम _____

मौ० नं० _____

Email id :

पता _____
